



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016



पत्र सं-2252/नि0प्रा0-09/2014-15/वा0नि0-6 दिनांक-31-8-2015

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अर्न्तगत

स्वीकृति-पत्र(प्रथम चरण)

सेवा में,

मैसर्स अर्थकान कान्सट्रक्सन प्रा0 लि0
रोहतास के0ए0ड्राईडेंट द्वितीय तल
10 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।

विषय: - ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-ई-1/जी0एच0-01 आम्रपाली योजना लखनऊ के सापेक्ष उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रथम चरण में प्रस्तावित निर्माण की अनुमति प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या-ई-1/जी0एच0-01 आम्रपाली योजना, लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आपके आवेदन के कम में प्रकरण को परीक्षणोपरान्त दिनांक 25.05.2015 को आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे समिति द्वारा कतिपय शर्तों सहित अनुमोदित किया है। अतः समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में आपके प्रत्यावेदन दिनांक 26.08.2015, व 28.08.2015 के अनुक्रम में विचार-विमर्श उपरान्त प्रकरण पर अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) द्वारा निम्नानुसार उल्लिखित बिन्दुओं के अर्न्तगत निर्माण मानचित्र चरणवार निर्गत की अनुमति प्रदान की गयी है :-

- 1- भूखण्ड सं0-ई-1/जी0एच0-01 आम्रपाली योजना लखनऊ (मैसर्स अर्थकान कान्सट्रक्सन प्रा0 लि0) के सापेक्ष अनुमोदित मानचित्र को दो चरणों के स्थान पर तीन चरणों में निर्माण की स्वीकृति निर्गत की जाये। प्रथम चरण में बेसिक एफ0ए0आर0 2.50 के अर्न्तगत केवल बेसमेंट, स्टिल्ट एवं सर्विस फ्लोर के मानचित्र निर्गत किये जायें।
- 2- वर्तमान में मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष जमा धनराशि के कम में प्रथम चरण के निर्माण के उपरान्त द्वितीय चरण (2.50 एफ0ए0आर0) की अनुमति से पूर्व सक्षम स्तर से भवनों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकित करते हुए ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर नियमतः परिषद को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
- 3- तृतीय चरण में कय योग्य एफ0ए0आर0 हेतु मानचित्र शासनादेश के अनुसार कय योग्य एफ0ए0आर0 की देय धनराशि परिषद खाते में नियमानुसार जमा होने के उपरान्त ही निर्गत की जायेगी।

अपर आवास आयुक्त/सचिव (म0) द्वारा दिनांक 24.07.2015 को प्रदत्त उक्त अनुमति के उपरान्त कार्यालय के पत्रांक 1235 /वा0नि0-6 दिनांक 11.06.2015 से सूचित किया गया है, जिसके अनुपालन में आप द्वारा दिनांक 26.08.2015 को प्रस्तुत शपथ पत्र एवं उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार एतद्वारा कतिपय शर्तों के अधीन प्रथम चरण के निर्माण सम्बंधी मानचित्र निर्गत किये जाते हैं :-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. तीनों चरणों सहित स्वीकृत मानचित्र की निर्माण अवधि 05 वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. वर्तमान में यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 132092.32 वर्गमी0 (डबल बेसमेंट+स्टिल्ट+18 तल,ममटी) में से 33135.44 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल (डबल बेसमेंट+स्टिल्ट फ्लोर+सर्विस फ्लोर) हेतु 24355.00 वर्गमी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।


5. डबल बेसमेंट एवं स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल डबल बेसमेंट एवं उसके ऊपर स्टिल्ट फ्लोर के निर्माण की अनुमति प्रथम चरण में प्रदान की जा रही है।
6. प्रथम चरण में स्थल पर डबल बेसमेंट एवं उसके ऊपर स्टिल्ट फ्लोर का एवम् सर्विस फ्लोर का निर्माण, स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) ही शेष अनुवर्ती तलों पर निर्माण (98956.88) वर्गमी० हेतु स्वीकृति कालान्तर में सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी।
7. प्रथम चरण में निर्माण के उपरान्त द्वितीय चरण (2.50 एफ०ए०आर०) की अनुमति से पूर्व सक्षम स्तर से ई०डब्लू०एस० व एल०आई०जी० भवनों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकित करते हुए ई०डब्लू०एस० एवं एल०आई०जी० भवनों के निर्माण की स्वीकृति मानचित्र प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना होगा, तभी द्वितीय चरण के निर्माण हेतु मानचित्र निर्गत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
8. प्रश्नगत भूखण्ड पर कुल 878 इकाईयों निर्मित किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष निर्गत शासनादेश सं० 3188/8-1-13-80 विविध/2010 दिनांक 05-12-2013 के अनुसार दुर्बल आय वर्ग हेतु कुल प्रस्तावित इकाईयों का 10 प्रतिशत के अनुसार 88 इकाईयों व अल्प आय वर्ग हेतु कुल प्रस्तावित इकाईयों का 10 प्रतिशत के अनुसार 88 इकाईयों के निर्माण हेतु कुल तल क्षेत्रफल 5280 वर्गमी० का निर्माण अनुमन्य किया गया है जिसके सापेक्ष ही निर्माण सुनिश्चित होने की दशा में कम्पेन्सेट्री एफ०ए०आर० प्रश्नगत भूखण्ड पर कालान्तर में अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।
9. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-21, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-21 व उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ द्वारा स्थल पर निर्माण उसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बन्धित द्वारा प्रश्नगत भूमि के सापेक्ष परिषद को देय किरतों का भुगतान समयानुसार अद्यतन किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध समयवधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ, उ०प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक एफ०एस०-1076/2015(159) दिनांक 19.03.2015 के माध्यम से निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व उ०प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ/मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
12. आवंटी द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। निर्धारित समयवधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
13. फर्म द्वारा शासनादेश के क्रम में मलवा शुल्क छूट हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार/संचय करने की दशा में मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय मलवा शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
14. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टे० की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं० 570-9-आ-12001(भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक-3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ०-भूकम्परोधी/2001/(आ०बा०) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्त, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
17. आवंटी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण निदेशालय भारतीय विमानन पत्तनम प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर नियमानुसार 06 माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में किया गया निर्माण अनाधिकृत निर्माण मानते हुए स्वीकृत मानचित्र निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

18. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।।
19. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-21, लखनऊ के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
20. शासनादेश सं० 3188/आठ-1-13-80 विविध/ 2010 दिनांक 05 दिसम्बर 2013 में दी गयी व्यवस्था अनुसार 4.0 हैक्टेयर के कम क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं में ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण यथासम्भव उसी स्थल पर अथवा 10 लाख एवं अधिक जनसंख्या वाले नगरों में योजना स्थल के 05 किलोमीटर के अर्द्धव्यास व अन्य नगरों में 02 किलोमीटर की अर्द्धव्यास के अन्दर किया जा सकेगा। अतः आवंटी द्वारा नियमानुसार स्थल पर वर्तमान में 2.50 एफ0ए0आर0 के सापेक्ष समानुपातिक दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण सुनिश्चित किया जायेगा जिसके अनुपात में ही कम्पेनसेट्री एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों के आवंटन आदि की प्रक्रिया शासनादेश/परिषद नियमों के अनुकूल सम्पन्न होगी।
21. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम स्तर/उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा तदनुसार निर्गत किया जायेगा।
22. भविष्य में ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों के सापेक्ष सेक्टर फीस जमा करने का विकल्प चुने जाने की स्थिति में वर्तमान में स्वीकृत मानचित्र निर्गत की तिथि से तत्समय तक की अवधि पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित सेक्टर फीस का भुगतान किया जाना होगा।
23. साथ ही कय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष निर्माण की अनुमति, गणना के अनुसार तत्समय देय धनराशि पर ब्याज सहित भुगतान परिषद खाते में होने की पुष्टि के उपरान्त ही कालान्तर में प्रदान की जा सकेगी।
24. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
25. पूर्व स्वीकृत मानचित्र जो परिषद कार्यालय के पत्रांक-180/नि0प्रा0-2011/वा0नि0ई-3 दिनांक 31.03.2013 द्वारा स्वीकृत है, को मूलरूप में वापस कराना होगा। उक्त के फलस्वरूप एतद्वारा इससे पूर्व स्वीकृत मानचित्र निरस्त माना जाएगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्र का एक सेट (31 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (18 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कौलकुलेश्जान का एक सेट (तीन प्रतिया)
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप- व।

भवदीय,



(अशोक कुमार सिंह)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ० सं०-

/नि०प्रा०-09/2014-15 /वा०नि०-5/ तददिनांक: / /2015

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-21, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों का एक सेट सहित कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा।
3. उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ।
4. मुख्य अग्निशमन फायर सर्विसेज सेवा मुख्यालय पंचम तल, इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ 226001 उनके अनुमोदन के कम में प्रपत्र-ब सहित।

वास्तुविदनियोजक/विशेष कार्याधिकारी



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA



No. AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2012/194/2920-23		Date: 22/6/2015
Earthcon construction pvt. ltd		
2nd floor. Rohtas k's trident, 10 rana pratap marg, opp. NBRI building, Lucknow		
NO Objection Certificate for Height Clearance		
This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order-SO84 (E) dated.14th Jan. 2010 for Safe and Regular Aircraft Operations.		
1 References		
NOCID	LUCK/NORTH/B/041015/108117	
Applicant Letter	dated 27.05.2015	
AAI Reference		
2 NOC Details for Height Clearance:		
Applicant Name	Earthcon construction pvt. ltd	
Type of Structure	Building	
Site Address	Plot no E-1/GH-1, AMRAPALI YOJNA, HARDOI ROAD, LUCKNOW	
Site Coordinates	26 53 11N -80 51 46E 26 53 15N -80 51 41E 26 53 18N -80 51 44E 26 53 15N -80 51 49E	
Site Elevation AMSL in Mtrs	121.0 Mtrs One Hundred Twenty one only	
Permissible height above Ground Level in Mtrs	61.85 Mtrs Sixty One Decimal Eight Five only	
Permissible Top Elevation AMSL in Mtrs	182.85 Mtrs One Hundred Eighty Two Decimal Eight Five only	
3 This NOC is subject to the terms and conditions as given below.		
a. The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one provided by the applicant, this NOC will be invalid.		
b. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by buildings and trees etc.) Rules, 1994.		
c. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation 182.85 Mtrs. indicated in para 2.		
d. The use of oil fired or electric-fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.		
e. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue if the		

<http://nocas.aai.aero/NOCLetterForBuilding2.aspx?nocID=LUCK/NORTH/B/041015/108...> 6/22/2015

क्षेत्रीय मुख्यालय, उत्तरी क्षेत्र, प्रचालन कार्यालय, गुडगांव रोड, नई दिल्ली-110037 दूरभाष : 25652447 फैक्स : 25656451
Regional Headquarters, Northern Region, Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi-110037 Tele.: 25652447 Fax : 25656451

“हिन्दी पत्रों का स्वागत है।”

building/structure/Chimney is not constructed & completed within the period, the applicant will be required to obtain a fresh 'NOC' from the Designated Officer of Airports Authority of India. The date of completion of Building/Structure/Chimney should be intimated to this office of AAI. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of its validity period.

f. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building.


g. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

h. Day markings & Night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

i. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans as this NOC for height is for the purpose of 'to ensure the safe and regular aircraft operations' and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

j. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports as notified in SO 84(E). Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport.

This certificate is issued for "HEIGHT CLEARANCE ONLY" with the approval of Competent Authority for Permissible Top Elevation **182.85 Mtrs.**


 (S.S. Bhardwaj)
 Asstt. General Manager (ATM-NOC)
 For General Manager (ATM).NR
 Airports Authority Of India

Copy to

1. The Executive Director (ATM), AAI, Rajiv Gandhi Bhavan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
2. GM (NOC)/Airport Director (Bundle).
3. Guard File
4. Airport Director, Chaudhary Charan Singh Airport, Amousi, Lucknow-226009
5. Uttar Presh Awam Evam Vikas Parishad, Construction Division 21, Sector-E, Amrapali Yojna, Hardoi road, Lucknow

General Letter ISSUE Print

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

(Dr. Bimrao Ambedkar Paryavaran Parisar)
Sector Number-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 016
Phone: FF-521-250541, Fax: FF-521-250541
E-mail: dseup@doeup.com
Website: www.seiaup.gov.in

Ref: 31) /Parya/SEAC/1187/AD(Sub)/2011

Dated: 20 November, 2012

To:
Mr. Ahmad Jamal,
(Manager),
Rohtas KS Trident,
1st Floor, 10 Rana Pratap Marg,
Lucknow- 226001.

Sub: Regarding the Environmental Clearance for the Group Housing "The Urban Village",
E-1, GH-1, Amrapali Yojna, Hardoi Road, Lucknow, U.P. M/s Earthcon Construction
Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 24-04-2012 and 09-07-2012, received to Directorate on 25-04-2012 and 12-07-2012 respectively addressed to the Secretary SEAC & Director, Directorate of Environment Govt. of U.P. Dr. Bimrao Ambedkar Paryavaran Parisar, Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) in its meeting dated 25-07-2012 has considered the case and has been given to understand that:

1. The environmental clearance is sought for Proposed Group Housing Project "The Urban Village" of M/s. Earthcon Constructions Pvt. Ltd at Plot No: E-1, GH-1, Village- Amrapali Yojna, Hardoi Road, District- Lucknow, State- Uttar Pradesh.
2. The project is covered under category B"b" of EIA notification, 2006 as amended.
3. The plot area of proposed project is 24,355.22 m² & the built-up area is 78,943.09 m²
4. For the proposed project total water requirement is 231 KLD.
5. Fresh water requirement for the proposed project: 154 KLD.
6. Domestic water requirement is 220 KLD.
7. The total waste water will be generated as 190 KLD which will be treated in house STP of capacity 230 KLD.
8. Quantity of Municipal (domestic) waste proposed to be generated: 1345 Kg/day.
9. For the proposed project Landscape Area Provided (@ 50% of the open area): 8,762.18 m²
10. 837 ECS is proposed for the project.
11. No. of Rain Water Harvesting Pits proposed: 07.
12. Total power requirement for the proposed project is 3028 KVA which will be tapped from UPPCL & Power backup will be given by (2X 200) KVA, DG sets.

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (Meeting held on 18-07-2012), the State Level Environment Impact Assessment Authority (Meeting held on 10-10-2012) has decided to grant the Environmental Clearance to the project subject to the effective implementation of the following general and specific conditions:-

General Conditions:

1. It shall be ensured that all standards related to ambient environmental quality and the emission/effluent standards as prescribed by the MoEF are strictly complied with.
2. It shall be ensured that obtain the no objection certificate from the U.P. pollution control board before start of construction.
3. It shall be ensured that no construction work or preparation of land by the project management except for securing the land is started on the project or the activity without the prior environmental clearance.
4. The proposed land use shall be in accordance to the prescribed land use. A land use certificate issued by the competent Authority shall be obtained in this regards.
5. All trees felling in the project area shall be as permitted by the forest department under the prescribed rules. Suitable clearance in this regard shall be obtained from the competent Authority.
6. Impact of drainage pattern on environment should be provided.
7. Surface hydrology and water regime of the project area within 10 km should be provided.
8. A suitable plan for providing shelter, light and fuel, water and waste disposal for construction labour during the construction phase shall be provided along with the number of proposed workers.
9. Measures shall be undertaken to recycle and reuse treated effluents for horticulture and plantation. A suitable plan for waste water recycling shall be submitted.
10. Obtain proper permission from competent authorities regarding enhanced traffic during and due to construction and operation of project.
11. Obtain necessary clearances from the competent Authority on the abstraction and use of ground water during the construction and operation phases.
12. Hazardous/inflammable/Explosive materials likely to be stored during the construction and operation phases shall be as per standard procedure as prescribed under law. Necessary clearances in this regards shall be obtained.
13. Solid wastes shall be suitably segregated and disposed. A separate and isolated municipal waste collection center should be provided. Necessary plans should be submitted in this regards.
14. Suitable rainwater harvesting systems as per designs of groundwater department shall be installed. Complete proposals in this regard should be submitted.
15. The emissions and effluents etc. from machines, instruments and transport during construction and operation phases should be according to the prescribed standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
16. Water sprinklers and other dust control measures should be undertaken to take care of dust generated during the construction and operation phases. Necessary plans in this regard shall be submitted.
17. Suitable noise abatement measures shall be adopted during the construction and operation phases in order to ensure that the noise emissions do not violate the prescribed ambient noise standards. Necessary plans in this regard shall be submitted.
18. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil and the top soil should be utilized for preparation of green belt.
19. Sewage effluents shall be kept separate from rain water collection and storage system and separately disposed. Other effluents should not be allowed to mix with domestic effluents.
20. Hazardous/Solid wastes generated during construction and operation phases should be disposed off as prescribed under law. Necessary clearances in this regard shall be obtained.
21. Alternate technologies for solid waste disposals (like vermin-culture etc.) should be used in consultation with expert organizations.

43. Suitable measures shall be taken to restrain the development of small commercial activities or slums in the vicinity of the complex. All commercial activities should be restricted to special areas earmarked for the purpose.
44. It is suggested that literacy program for weaker sections of society/women/adults (including domestic help) and under privileged children could be provided in a formal way.
45. The use of Compact Fluorescent lamps should be encouraged. A management plan for the safe disposal of used/damaged CFLs should be submitted.
46. It shall be ensured that all Street and park lighting is solar powered. 50% of the same may be provided with dual (solar/electrical) alternatives.
47. Solar water heater shall be installed to the maximum possible capacity. Plans may be drawn up accordingly and submitted with justification.
48. Treated effluents shall be maximally reused to aim for zero discharge. Where ever not possible, a detailed management plan for disposal should be provided with quantities and quality of waste water.
49. The treated effluents should normally not be discharged into public sewers with terminal treatment facilities as they adversely affect the hydraulic capacity of STP. If unable, necessary permission from authorities should be taken.
50. Construction activities including movements of vehicles should be so managed so that no disturbance is caused to nearby residents.
51. All necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity and if this condition is violated the clearance, if and when given, shall be automatically deemed to have been cancelled.
52. Parking areas should be in accordance with the norms of MOEF, Government of India. Plans may be drawn up accordingly and submitted.
53. The location of the STP should be such that it is away from human habitation and does not cause problem of odor. Odorless technology options should be examined and a report submitted.
54. The Environment Management plan should also include the break up costs on various activities and the management issues also so that the residents also participate in the implementation of the environment management plan.
55. Detailed plans for safe disposal of STP sludge shall be provided along with ultimate disposal location, quantitative estimates and measures proposed.
56. Status of the project as on date shall be submitted along with photographs from North, South, West and East side facing camera and adjoining areas should be provided.
57. Specific location along with dimensions with reference to STP, Parking, Open areas and Green belt etc. should be provided on the layout plan.
58. The DG sets shall be so installed so as to conform to prescribed stack heights and regulations and also to the noise standards as prescribed. Details should be submitted.
59. E-Waste Management should be done as per MoEF guidelines.
60. Electrical waste should be segregated and disposed suitably as not to impose Environmental Risk.
61. The use of suitably processed plastic waste in the construction of roads should be considered.
62. Displaced persons shall be suitably rehabilitated as per prescribed norms.
63. Dispensary for first aid shall be provided.
64. Safe disposal arrangement of used toiletries items in Hotels should be ensured. Toiletries items could be given complementary to guests, adopting suitable measures.
65. Diesel generating set stacks should be monitored for CO and HC.
66. Ground Water downstream of Rain Water Harvesting pit nearest to STP should be monitored for bacterial contamination. Necessary Hand Pumps should be provided for sampling. The monitoring is to be done both in pre and post monsoon, seasons.

clearance. Failing this, the environmental Clearance shall be deemed to be cancelled.

Necessary statutory clearances should be obtained and submitted before start of any construction activity. In the event of the violation of the condition the environmental clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533(E) dated 14.9.2006 and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.


(J. S. Yadav)
Member Secretary, SEIAA

No. /parva/SEAC/1167/2011/AD(Sub) Dated: As above
Copy for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Environment, U.P. Govt., Lucknow.
2. Dr. P.L. Ahuja Rai, Adviser IA Division, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
3. Chief Conservator, Ministry of Environment & Forests, Regional Office (Central Region), Kendrya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow
4. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, PICUP Bhawan, Gumbi Nagar, Lucknow
5. District Magistrate, Greater Noida, U.P.
6. Copy for Guard File


(O.P. Varma)
Director in charge & Secretary SEAC
Directorate of Environment, U.P.

उत्तर

प्रदेश

अग्निशमन

सेवा

मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

संख्या: एफएस- 1076/2015 (159)

दिनांक: मार्च 19, 2015

सेवा में,

मेसर्स अर्थकान कन्सट्रक्शन प्राइवेट लि०
रोहतास के०ए० ट्रपइडेन्ट द्वितीय तल,
10 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय: प्लान/खसरा नं० ई-1/जीएच०-1 आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ पर मेसर्स अर्थकान कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : GIN :- U45201DL2005PTC132632 दिनांक 02-03-2015 तथा फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ की वेवसाइट के टिकट नं० 2015/77479/LKW/Lucknow/1072/JD दिनांक: 28-02-2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, चौक-लखनऊ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी-लखनऊ, उप निदेशक फायर सर्विस, परिक्षेत्र लखनऊ द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी, चौक-लखनऊ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी-लखनऊ, उप निदेशक फायर सर्विस, परिक्षेत्र लखनऊ की आख्या दिनांक 17-03-2015 के अनुसार :-

भवन की संरचना:-

- 1- कुल भूखण्ड एरिया- 24355.00 वर्ग मी०।
- 2- प्रस्तावित ब्लॉक-ए भवन के भूतल का कवर्ड एरिया- 131.625 वर्ग मी०
प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 988.618 वर्ग मी०
द्वितीय तल से 16वें तल तक प्रत्येक की कवर्ड एरिया- 1217.794 वर्ग मी०
ब्लॉक ए कम्प्यूनिटी सेण्टर भूतल का कवर्ड एरिया - 374.585 वर्ग मी०
ब्लॉक ए कम्प्यूनिटी सेण्टर प्रथम तल का कवर्ड एरिया - 374.585 वर्ग मी०
प्रस्तावित ब्लॉक बी भवन के भूतल का कवर्ड एरिया - 131.628 वर्ग मी०
प्रथम तल से 16वें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया- 1217.794 वर्ग मी०
प्रस्तावित ब्लॉक सी भवन के भूतल का कवर्ड एरिया - 76.041 वर्ग मी०
प्रथम तल से 16वें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया- 719.801 वर्ग मी०
प्रस्तावित ब्लॉक डी व ई भवन के भूतल का कवर्ड एरिया - 135.805 वर्ग मी०
प्रस्तावित ब्लॉक डी व ई के प्रथम तल से 18वें तल तक प्रत्येक का कवर्ड एरिया - 1085.779 वर्ग मी०

- 3-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया- 9451.919 वर्ग मी०।
- 4-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया- 19807.180 वर्ग मी०।
- 5-भवन की ऊँचाई- ब्लॉक ए व बी की अधिकतम ऊँचाई- 51.950 मीटर, ब्लॉक-सी की अधिकतम ऊँचाई- 51.850 मीटर तथा ब्लॉक डी व ई की अधिकतम ऊँचाई- 57.950 मीटर है।
- भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की समूह आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

आवश्यक व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्र में 50.00 मी० रोड की चौड़ाई है।
- 2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई-भवन में प्रवेश हेतु गेट की चौड़ाई- 09.00 मी० है।

Received (95 Nos)
Date
19/3/15

U.P. Area Evam Vikas
Unit-III
Lucknow

3- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

- ए0-अग्रभाग- 15.00 मी0।
- बी0-पृष्ठ भाग- 15.00 मी0।
- सी0-पार्श्व भाग प्रथम- 15.00 मी0।
- डी0-पार्श्व भाग द्वितीय- 15.00 मी0 है।

एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक के मध्य 06 मीटर झाइव वे (मोटेरेबुल) सैटबैक प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है। अतः बेसमेन्ट की छत/स्लैब 45 टन भार को सहने की क्षमता रखती है, का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्राप्त कर भवन का प्रयोग करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। भवन के बेसमेन्ट में एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 के क्लास सी-1.8 के अनुसार कम्पार्टमेन्टेशन का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में 1.50-1.25 मीटर चौड़ाई के 2-2 स्टेयर केस मानचित्र में प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण:- भवन में बालकनी प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं:-

1-भूमिगत टैंक- प्रस्तावित भवन मानचित्र में 200 के0एल0 क्षमता का अण्डर ग्राउण्ड टैंक प्राविधानित है।

2-पम्प- अण्डर ग्राउण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प, एक डीजल चालित पम्प 2280एल0पी0एम0 क्षमता, जीकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।

3-होजरील :-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

4-वेटराइजर: प्रस्तावित भवन में वेट राइजर सिस्टम, एन0बी0सी0-2005 के मानको के अनुरूप है।

5-सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रैण्टस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0-13039:1991 के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।

6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में मैनुअल आपरेटेंड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है।

7-स्वचालित डिडेंक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-भवन में आवश्यक नहीं है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- भवन के बेसमेन्ट सहित समस्त टावरों के प्रत्येक तलों पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में अंकित है। जिसे भूमिगत टैंक एवं टेरिस टैंक से कनेक्ट किया जाना अनिवार्य है।

9-टेरिस टैंक:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के टेरिस पर टेरिस टैंक 10000-10000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10-टेरिस पम्प:- आवश्यक नहीं है।

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190-2010 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुरूप है।

12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-

ए0-फायर चैकडोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा है।

बी0-सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है।

सी0-स्मोक रिजर्ववायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण किया गया है।

- 13-प्रेसराईजेशन प्रणाली :-आवश्यक नहीं है।
14-एग्जिट साईनेज:-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्राविधानित किया जाना अनिवार्य है।
15-पी0ए0 सिस्टम:- पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।
16- प्रश्नगत भवन में इमरजेंसी/स्कैप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य है।
17- भवन निर्माण के पश्चात् व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0 2005 पार्ट-4 के प्रस्तर-सी-6, सी-7, सी-8,सी-9 में उल्लिखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
18- भवन की सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयर केसों व काडीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अर्थकान कन्सल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूखण्ड सं0 ई-1/जी0एच0-1 आम्रपाली योजना हरदोई रोड, लखनऊ में प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2006 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्न: मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,
अग्निशमन सेवा मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि :-

- 1-सपनिदेशक फायर सर्विस, परिक्षेत्र लखनऊ को उनके पत्र संख्याअ-7-डीडी (लखनऊ)-2012 दिनांक 17-03-2015 के संदर्भ में मय संलग्न मानचित्र के सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को उनके पत्र संख्या :प-1732/एफएस-15 दि017-3-2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- 3- अग्निशमन अधिकारी, चौक, लखनऊ को अनुपालनार्थ प्रेषित ।